रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 1968/भाद्र 11, 1890

No. 308] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 1968/BHADRA 11, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

**(Department of Agriculture)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 29th August 1968*

**S.O. 3122.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby appoints the second day of September, 1968, as the date on which the provisions of sections 1 to 6 (both inclusive), sections 8 to 11 (both inclusive), section 16 and sections 22 to 25 (both inclusive) of the said Act, shall come into force in the whole of India.

[No. 4(2)/67-Seeds Dev.]

S. M. H. BURNEY, Jt. Secy.

---

## खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त 1968

**एस० ओ० 3123.**—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सितम्बर, 1968 के दूसरे

दिन को तथाकथित अधिनियम की धारा 1 से 6 (दोनों सहित), धारा 8 से 11 (दोनों सहित), धारा 18 तथा धारा 22 से 25 (दोनों सहित) के उपबन्धों को समस्त भारत में लागू करने की तिथि निश्चित करती है ।

[सं० 4(2)/67-बीज विकास.]

एस० एम० एच० बर्मी,

संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968